

RCM 23043942
कार्यालय अंचल अधिकारी बरवाडीह, (जिला- लातेहार)

कृपया 14 फागुन 2021

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1041 का नियम 120)

आदेश पत्रक-सं.

से

सं.

तारीख

जिला

लातेहार

सी

106

केस का प्रकार :- पैयती भूमि का R5 में जमानदी अदातन हेतु।

आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में दिपानी तारीख सहित

3

आदेश की क्रम सं० और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

1

6.12.22

आवेदक/आवेदिनी

पिता/पति श्री. राजेश चंद्र झा पत्नी श्री. मीरा देवी धाना, दल, खानपुरी, जिला लातेहार के द्वारा C.S. से R.S. पंजी II को अदातन कर लगाने हेतु निर्गत करने हेतु अनुरोध किया है। जो निम्न है:-

मौजा

खाता नया/पुराना

फ्लॉट

रकबा

खरडीह
09

62/6

1253-
1247-
1158-
1125-

0.04
0.05
0.05
0.47
207

राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करे एवं आम इस्तेहार निर्गत करें। दिनांक 23.12.22 को अभिलेख उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
बरवाडीह।

23.12.21

अभिलेख उपस्थापित। आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। किसी के द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। राजस्व उप निरीक्षक ने अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि श्री खरडीह पिता/पति श्री. राजेश चंद्र झा पत्नी श्री. मीरा देवी धाना, दल, खानपुरी, जिला लातेहार के द्वारा C.S. से R.S. पंजी II को अदातन कर लगाने हेतु निर्गत करने हेतु अनुरोध किया है। जिसका C.S. तथा R.S. का प्रतिवेदन निम्न प्रकार है:-

C.S. के अनुसार -

मौजा का नाम/धाना सं०	खाता	प्लॉट	रकबा
परासीह 05	6	565 - 571 - 526 - 619 -	0.04 1/2 0.03 1/4 0.03 1/4 0.17 1/2
		जम्मा	221 1/2

R.S. के अनुसार -

मौजा का नाम/धाना सं०	खाता	प्लॉट	रकबा	प्लॉट सं०
परासीह 05	62	1253 - 1247 - 1198 - 1125 - 1199 - 1254 -	0.04 1/2 0.09 1/4 0.09 1/4 0.47 0.14 1/4 0.05 1/4	1117-0.20 1/2 1162-0.16 1/2 1166-0.23 3/4 1192-0.35 1119-0.18 80-20.73

उक्त भूमि का जमाबंदी स्टारबु प्लान 218 प्लॉट नं० 1253-1254 के नाम से C.S. गांग पंजी ॥ में चल रहा था। भूमि रैयती खाते की है एवं आवेदक का शांतिपूर्ण दखल-कब्जा है। उक्त भूमि पर आवेदक के नाम से पूर्व में अंचल पदाधिकारी, /प्लान/लातेहार। के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं० 2/1/5/.../.../.../... द्वारा स्वीकृति दी गई थी। तदनुसार आवेदक/आवेदिका के नाम से जमाबंदी कायम कर लगान रसीद निर्गत किया जा रहा था। वर्ष 2019-2020 तक लगान रसीद निर्गत है। लगान रसीद/खतियान की छायाप्रति एवं अंगीन द्वारा ट्रेस किए गए नये/पुराने खाता प्लॉट का सत्यापित नक्शा संलग्न है।

अतः राजस्व सप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक के स्पष्ट अनुशंसा एवं दाखिल खारिज वाद संख्या 2/1/5/.../... के आधार पर पूर्व में कायम जमाबंदी जिसका लगान वर्ष 2019-2020 तक वसूल है का, सरकार के सचिव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा संखंड सं० के पत्रांक 1704 दिनांक 16.07.2020 के अनुपालन में, लगान रसीद निर्गत करने हेतु चालू पंजी-॥ में दर्ज जमाबंदी को अद्यतन करने की ... दी जाती है। उक्त आदेश किसी भी सक्षम न्यायालय के स्वतंत्र संबंधित पारित आदेश से प्रभावित होगी।

तदनुसार आदेश का अवतरण तीन प्रति में हस्ताक्षरित।

आदेश की दो प्रति राजस्व सप निरीक्षक को अनुपालन हेतु दें तथा अनुपाल प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक पक्ष के अन्दर समर्पित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी,
बरवाडीह।

R.R.P.
22.12.20
अंचल अधिकारी,
बरवाडीह।

22004/23043959
कार्यालय अंचल अधिकारी बरवाडीह, (जिला- लातेहार)

अनुसूचि 14 फारम 6021

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक-सं०..... से..... तक

जिला- लातेहार सं० 104 सन् 2022-23

केस का प्रकार :- रैयती भूमि का RS में जमाबंदी अद्यतन हेतु।

आदेश पर की ग
कार्रवाई के बारे
टिप्पणी तारीख
सहित
3

आदेश की क्रम
सं० और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

6.12.22

आवेदक/आवेदिका..... पुरम प्रसाद सिंह धाना.....
पिता/पति..... जिला लातेहार के द्वारा C.S. सं R.S. पेजी 11 को अद्यतन कर लगान रसीद निर्गत करने हेतु
अनुरोध किया है। जो निम्न है:-

मौजा

खाता

प्लॉट

रकबा

पोरवरी कुला
10

नया/पुराना
425/72

868/311 - 0.07
862/337 - 0.27
812/344 - 0.284
2705/715 - 0.064
2706/715 - 0.10
2712/715 - 0.284
2710/715 - 0.13

राजस्व उप निरीक्षक / अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करे एवं आम इस्तेहार निर्गत करें। दिनांक..... को अभिलेख उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
बरवाडीह।

अभिलेख उपस्थापित । आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। किसी के द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ । राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त । राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि श्री पुरम प्रसाद सिंह पिता/पति..... जिला लातेहार के द्वारा C.S. सं R.S. पेजी 11 को अद्यतन कर लगान रसीद निर्गत करने हेतु अनुरोध किया है। जो निम्न है:-
..... में दाखिल खारिज वाद संख्या 245/85 के द्वारा रकबा 15.89 ए० भूमि प्राप्त किये है। जिसका C.S. तथा R.S. का प्रतिवेदन निम्न प्रकार है:-

क अनुसार -

मौजा का नाम/थाना सं०

पौरवासी 10

खाता

77

प्लॉट

1511

रकबा

0.07

1538

0.08

1564

0.08

1515

0.13

1515

0.06

1595

5.6

प्लॉट

रकबा

868

0.08

862

0.2

812

0.2

2805

0.06

2806

0.10

2812

0.2

2812

0.4

साकिन

R.S. के अनुसार -

मौजा का नाम/थाना सं०

पौरवासी 10

खाता

425

प्लॉट

868

0.08

862

0.2

812

0.2

2805

0.06

2806

0.10

2812

0.2

2812

0.4

उक्त भूमि का जमाबंदी के नाम से C.S. मांग पंजी II में चल रहा था। भूमि रैयती खाते की है एवं आवेदक शांतिपूर्ण दखल-कब्जा है। उक्त भूमि पर आवेदक के नाम से पूर्व में अंचल अधिकारी, प्रलाम/लातेहार के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं० 1985/1985 द्वारा प्रकृति दी गई थी। तदनुसार आवेदक/आवेदिका के नाम से जमाबंदी कायम कर लगान रसीद गत किया जा रहा था। वर्ष 2011-12 तक लगान रसीद निर्गत है। लगान रसीद/खतियान छायाप्रति एवं अमीन द्वारा ट्रेस किए गए नये/पुराने खाता प्लॉट का सत्यापित नक्शा संलग्न

अतः राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक के स्पष्ट अनुशंसा एवं दाखिल खारिज संख्या 255/1985-86 के आधार पर पूर्व में कायम जमाबंदी जिसका लगान 2011-12 तक वसूल है का, सरकार के सचिव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग खंड संघी के पत्रांक 1704 दिनांक 15.07.2020 के अनुपालन में लगान रसीद निर्गत करने हेतु पंजी II में दर्ज जमाबंदी को अद्यतन करने की दी जाती है। उक्त आदेश तीन सक्षम न्यायालय के स्वत्व संबंधित पारित आदेश से प्रभावित होगी।

तदनुसार आदेश का उदघरण तीन प्रति में हस्ताक्षरित।
आदेश की दो प्रति राजस्व उप निरीक्षक को अनुपालन हेतु दें तथा अनुपालन के अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक प्रक्ष के अन्दर समर्पित करें।

संयोजित एवं संशोधित।

अधिकारी

है।

R.R.

29.12.20

अंचल अधिकारी,
बरवाडीह।

अध्यक्ष
20/12/20